बिहार विधान-सभा वादवृत

(भाग—१ कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि २८ नबम्बर, १९७७

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या—३६	१—५
	५—३९
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—५७६, ५७७, ५७८, ५८०, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८९, ५९०, ५९४, ५९६, ६०३, ६१८, ६१९, ६२६, ६३०, ६३८, ६४१, ६४२, ६४३, ६६८, ६७८, ६९५।	
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	४०—६२
दैनिक निबंध	६३—६४

टिप्पणी— जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे ऐसा (*) चिन्ह लगा दिया गया है।

भूख से किसी भी व्यक्ति को मरने की सूचना राज्य के किसी भी जिले से प्राप्त नहीं हुई है ।

महमदा ग्राम-पंचायत में राहत कार्य

५९६ । **श्री कृष्ण वल्लभ प्रसाद सिंह**—क्या मंत्री राजस्व विभाग, यह वतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह वात सही है कि नालन्दा जिला अन्तर्गत इस्लामपुर थाना के महमदा ग्राम-पंचायत में गत तीन साल से अकाल पड़ता चला आ रहा है ;

(२) क्या यह वात सही है कि उक्त पंचायत में सिचाई का कोई प्रबंध नहीं है एवं इस साल भी सुखाड़ की स्थिति है ;

(३) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त पंचायत में राहत कार्य चलाने का विचार करती है, यदि हाँ तो कवतक, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा—मंत्री, राजस्व एवं भूमि-सुधार विभाग;

(१) यह वात सही नहीं है कि उक्त ग्राम-पंचायत महमदा में गत तीन साल से अकाल पड़ता चला आ रहा है ।

(३) उक्त ग्राम-पंचायत में पटवन का कोई सरकारी साधन नहीं है फिर भी कृषक कुआं तथा निजी नलकूपों से सिंचाई करते हैं । यह बात सही नहीं है कि इस वर्ष सुखाड़ की स्थिति है ।

(३) उपर्युक्त खण्डों के आलोक में राहत कार्य चलाने का प्रश्न भी नहीं उठता है ।

भू-धारियों का मुआवजा

६०३ । **श्री ब्रजकिशोर नारायण सिंह**—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह वतलाने को कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह वात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के १९७६ तक स्वेच्छा से जमीन सरेन्डर करने वाले भू-धारियों को अब तक मुआवजा नहीं दी गई है ;